<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 65/2016

1 रामस्वरूप पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी नारदा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 दशरथ सिंह पुत्र चतरू सिंह।
2 गोरधन सिंह पुत्र चतरू सिंह।
3 रघुनाथ सिंह पुत्र चतरू सिंह।
4 सरोज कंवर पुत्री चतरू सिंह।
5 इमरत कंवर पुत्री चतरू सिंह।
6 सुमन कंवर पुत्री चतरू सिंह।
7 अन्तर कंवर पत्नी चतरू सिंह।
8 मेघसिंह पुत्र गुलाब सिंह।
9 विक्रम सिंह पुत्र गुलाब सिंह।
10 महेन्द्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह।
11 बज्जू सिंह उर्फ बजरंग सिंह पुत्र गुलाब सिंह।
12 मंजू पुत्री गुलाब सिंह।
13 बाला पुत्री गुलाब सिंह।
14 सजना देवी बेवा गुलाब सिंह।
15 प्रकाश पुत्री गुलाब सिंह।
16 गुड्डी पुत्री गुलाब सिंह।
17 पिन्नू पुत्री गुलाब सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बविरूद्व आदेश दिनांक 15.06.2016 अदालत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बउनवानी आवेदन रामस्वरूप बनाम दशरथ सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आवेदन संख्या 424/2015

उपस्थिति :

1. श्री विधाधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इस्लामुदीन गौरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 424/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलकर्ता आवेदक ने अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष आवेदन उनवानी रामस्वरूप बनाम दशरथ सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दायर किया गया। जिसे अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने बाद तहकीकात राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प रायपुर पाटन में अपीलकर्ता आवेदक का प्रार्थना पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खारिज करने का आदेश दिनांक 15.06.2016 को दिया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे खसरा नम्बर 1124/2 एवं 1124/3 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे स्थिति रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 को अस्वीकार कर दुसरी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 के आधार पर यह अंकित करते हुये की गैर मुमकिन नदी में से रास्ता है। अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित गैर मुमकिन नदी में से रास्ता अवरूद्व है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर आवेदन धारा 251ए स्वीकार किया जावें। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2017 पेज 515 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई मुताबिक मौका रिपोर्ट प्रस्तावित स्थल तक पहुचने के लिये वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना पाये जाने पर अपीलांट का आवेदन विधि अनुसार खारिज किया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे खसरा नम्बर 1124/2 एवं 1124/3 की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे स्थिति रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने बाबत आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23.11.2015 को अस्वीकार कर दुसरी रिपोर्ट दिनांक 15.06.2016 के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अंकित करते हुये की गैर मुमकिन नदी में से रास्ता है। अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा वर्णित गैर मुमकिन नदी में से रास्ता अवरूद्व होने का विवेचन विधि सम्मत प्रतीत नही होता है क्योंकि विचारण न्यायालय मे पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पर सुनवाई किये बिना पुन दुसरी रिपोर्ट प्राप्त की है। जिसका कोई विधिक कारण अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट का आवेदन खारिज किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सक्षम स्तर से पुन उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर